बिहार विधान-सभा वादवृत

बृहस्पतिवार तिथि २१ सितम्बर, १९७२।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में बृहस्पतिवार, तिथि २१ सितम्बर, १९७२ को पूर्वाह्न ६ बजे उपाध्यक्ष, श्री शकूर अहमद के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४ परन्तुक के अन्तर्गत सभा-मेज पर प्रश्नों के लिखित उत्तरों का रखा जाना :

श्री दारोगा प्रसाद राय—महोदय, मैं षष्ठ विधान-सभा, १९७२ के अनागत, अल्पसूचित, तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम ४ के परन्तुक के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूँ। (*)

पाद टिप्पणी (*) उत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखें।

(२) क्या यह बात सही है कि उदेरास्थान सिंचाई योजना की हर-शाखा नहर ने बराबर पानी दिया है;

(३) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त गांव के किसानों के धान की रोपनी दो प्रतिशत भी नहीं हुयी है;

(४) क्या यह बात सही है कि सिंचाई अधिकारी कमान्ड ऐरिया के बाहर पानी की बिक्री करते हैं जिसके कारण उपरोक्त गांव में अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है;

(५) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त गांवों में पानी पहुँचाने की व्यवस्था कब तक करना चाहते हैं तथा दोषी पदाधिकारियों के उपर कौन सी कार्रवाई करने को सोचता है ?

श्री जगन्नाथ मिश्र—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) उत्तर नकारात्मक है। पानी के अभाव से सिंचाई ५० से १० प्रतिशत इन तीनों गांवों में हुयी है।

(४) उत्तर नकारात्मक है।

(५) उपर्युक्त खंडों में दिये गये उत्तर के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

पदाधिकारी पर आरोप

५६६। श्री कुमार कालिका सिंह—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अभियंता सिंचाई विभाग सारण श्री एस० के वर्मा ने श्री विजय कुमार सिंह के नाम से एक लाख रुपया का एक ही चेक दिया है;

(२) क्या यह बात सही है कि जिस कार्य के लिये श्री विजय कुमार सिंह को एक लाख का चेक दिया गया है उस कार्य का टेण्डर भी नहीं मांगा गया था यदि तो किस अखबार द्वारा और किस तिथि को तथा इसका सूचना किस किस विभाग, के किस पदाधिकारी को भेजी गयी है;

(३) सरकार ऐसे पदाधिकारी के ऊपर कौन सी कार्रवाई करने जा रही है जिन्होंने सरकारी पैसा का इस तरह दुरुपयोग किया है ?

श्री जगन्नाथ मिश्र—(१) उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है। चेक ८५, ३१० रुपए का श्री विजय कुमार सिंह के नाम दिया गया है।

(२) यह बात सही है कि उक्त कार्य के लिये अखबार में कोई निविदा प्रकाशित नहीं की गयी थी। चूंकि कार्य शीघ्र समाप्त करना था और समय कम था इसलिए सलेमपुर मठिया में निविदा द्वारा निर्धारित दर पर अधीक्षण अभियंता गंडक अंचल मुजफ्फरपुर का स्वीकृति से उक्त कार्य को कार्यपालक अभियंता ने आवंटित किया गया था।

(३) उपर्युक्त खंड (२) में कथित कार्य के आवंटन के औचित्य पर छानबीन करायी जा रही है।

किसानों को मुआवजा

५७०। श्री मु० शकूर—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

क्या यह बात सही है कि सरकारी नियमानुसार किसी बांध के निर्माण में जिस किसानों की भूमि अर्जित की जाती है और उस भूमि में बाग लगी हो जैसे बांस, आम, इत्यादि के पेड़ हो तो सरकार को उसका मुआवजा देना पड़ता है यदि हां तो अब तक आजमपुर शंकर बांध के निर्माण में आम, बांस आदि प्रभावित बगिचों का मुआवजा नहीं दिये जाने का क्या कारण है तथा क्या सरकार अविलम्ब उक्त किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है ?

श्री जगन्नाथ मिश्र—यह बात सही है कि बांध निर्माण के सिलसिले में अर्जित भूमि के अन्तर्गत पड़ने वाले पेड़, पौधे, आदि का मुआवजा सरकार देती है।

काढ़ागोला आजमपुर सटबन्ध के निर्माण हेतु अर्जित भूमि पर स्थित पेड़ों के सम्बन्धित मुआवजे में केवल बांस के पेड़ों का एक मामला लम्बित है जिसके भुगतान के लिये आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।